

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०२५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक - ३) विधेयक, २०२५

वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक - ३) अधिनियम, २०२५ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये दो हजार तीन सौ छप्पन करोड़ उनयासी लाख इक्यासी हजार तीन सौ अट्ठानवे होता है, उन विभिन्न प्रकारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिए राज्य की संचित निधि में से रु. २३,५६,७६,८१,३६८ का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में, अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

विनियोग.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपये में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा			
		राजस्व	०	४००
००३. गृह				
		राजस्व	५,०७,१६,७७८	०
		पूंजी	१,१६,२०,००,०००	०
००६. वित्त				
		राजस्व	१००	०
००८. भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय				
		राजस्व	६८,८७,५०,४००	०

(१)	(२)	अनुसूची क्रमांक	(३)
		रुपये	रुपये
०१०. वन	राजस्व	६३,७५,२४,०२०	०
			६३,७५,२४,०२०
०१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	६,२१,७६,६००	०
			६,२१,७६,६००
०१४. पशुपालन एवं डेयरी	राजस्व	१,६७,००,०००	०
			१,६७,००,०००
०१६. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	६,५६,२५,००,०००	०
	पूंजी	६,४६,०५,००,०००	०
			६,५६,२५,००,०००
०२२. नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	२०,००,००,१००	०
	पूंजी	१,५१,५१,००,२००	०
			१,५१,५१,००,२००
०२३. जल संसाधन	पूंजी	०	१०,००,००,०००
			१०,००,००,०००
०२४. लोक निर्माण कार्य	पूंजी	१,००,००,००,०००	०
			१,००,००,००,०००
०२६. संस्कृति	राजस्व	८००	०
			८००
०२७. स्कूल शिक्षा	राजस्व	१००	०
			१००
०२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	३००	०
			३००
०२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१००	०
			१००
०३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	२००	०
			२००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		रुपये	रुपये	रुपये
०३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	१००	०	१००
०३२. जनसंपर्क	राजस्व	५००	०	५००
०३३. जनजातीय कार्य	राजस्व	२००	०	२००
०३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व	२००	०	२००
०३६. परिवहन	राजस्व	८००	०	८००
	पूंजी	१००	०	१००
०४४. उच्च शिक्षा	पूंजी	५,००,००,०००	११,४३,००,०००	१६,४३,००,०००
०४६. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व	३,३००	०	३,३००
०४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राजस्व	१,१३,१५,००,०००	०	१,१३,१५,००,०००
०४८. नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	५००	०	५००
०४९. अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	३०,००,००,४००	०	३०,००,००,४००
	पूंजी	१,४०,००,०००	०	१,४०,००,०००
०५३. अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	१,२००	०	१,२००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		रुपये	रुपये	रुपये
०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण				
	राजस्व	६,००,००,०००	०	६,००,००,०००
	पूँजी	३०,००,०००	०	३०,००,०००
०५५. महिला एवं बाल विकास				
	राजस्व	५००	०	५००
	पूँजी	७,६२,००,१००	०	७,६२,००,१००
योग {	राजस्व :	१०,०३,६८,८०,०६८	४००	१०,०३,६८,८०,४६८
	पूँजी :	१३,३१,३८,००,६००	२१,४३,००,०००	१३,५२,८१,००,६००
	वृहद् योग :	२३,३५,३६,८०,६६८	२१,४३,००,४००	२३,५६,७९,८१,०६८

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख २५ जुलाई, २०२५.

जगदीश देवड़ा

भारसायक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”.

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.